न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

नियमित जमानत आवेदन संख्या–322 / 2026
पंचमहला थाना कांड संख्या–37 / 2026
अंतर्गत धारा–25(1-B)a. 26, 35 शस्त्र अधिनियम

03.07.2026 काराधीन अभियुक्त–1. विकास कुमार की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–480 के अंतर्गत दिनांक–04.06.2026 को नियमित जमानत याचिका दाखिल किया गया है, जोकि धारा–25(1-B)a. 26, 35 शस्त्र अधिनियम से संबंधित पंचमहला थाना कांड संख्या–37 / 2026, दिनांक–22.04.2026 के नामित अभियुक्त हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि, आवेदक की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक–23.04.2026 से काराधीन हैं। आवेदक का पूर्व में जमानत आवेदन विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–तृतीय, बाढ़ के द्वारा दिनांक–26.05.2026 को खारिज किया जा चुका है। आगे विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि, आवेदक निर्दोष हैं, इनके द्वारा कोई–भी कथित अपराध नहीं किया गया है, इन्हें इस केस में गलत फंसाया गया है और पुलिस द्वारा गलत तरीके से इनके पास से शस्त्र जप्ती की बात को दर्शाया गया है। सह अभियुक्त–रौशन कुमार को जमानत का लाभ विचारण न्यायालय के द्वारा दिया जा चुका है। इस वाद में आवेदक के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि, आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक प्रस्तुत जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, इस कांड के सूचक पंचमहला थाना के थानाध्यक्ष–पु0अ0नि0 कुंदन कुमार हैं, जिनका कहना है कि, दिनांक–22.04.2026 को वाहन चेकिंग के क्रम में शाम 07.45 बजे एक मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-09A-8592 था, जिसपर दो व्यक्ति सवार थे, उनको रोककर चेकिंग किया गया। दोनों व्यक्ति से पूछने पर अपना नाम–विकास कुमार एवं रौशन कुमार बताया। तलाशी के क्रम में विकास कुमार के पहने जिंस पैंट के दाहिने पॉकेट से एक मोबाइल एवं दाहिने कमर के पीछे पहने जींस पैंट में खोंसा हुआ काले रंग का पिस्टल पाया गया, जिसे अनलोड करने पर पिस्टल के मैग्जीन में कुल पांच जिंदा कारतूस पाया गया तथा पैंट के पीछे दाहिने पॉकेट से पांच सौ रूपया का उन्तीस नोट कुल चौदह हजार, पांच सौ रूपए बरामद किया गया एवं रौशन कुमार के पैंट के दाहिने पॉकेट से एक मोबाइल तथा पीछे की तरफ दाहिने पॉकेट एक सौ का कुल पांच नोट कुल पांच सौ रूपया केवल बरामद किया गया। सूचक के द्वारा शस्त्र संबंधी वैध कागजात की मांग किए जाने पर उनलोगों के द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, अनुसंधान के क्रम में सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन करते हुए बताया है कि, वाहन चेकिंग के दौरान कथित

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

नियमित जमानत आवेदन संख्या–322 / 2026
पंचमहला थाना कांड संख्या–37 / 2026
अंतर्गत धारा–25(1-B)a. 26, 35 शस्त्र अधिनियम

लगातार

03.07.2026

मोटरसाइकिल रोका गया, जिसपर दो व्यक्ति सवार थे। दोनों व्यक्तियों की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में विकास कुमार के पास से एक पिस्टल और उसमें लगे मैग्जीन से पांच जिंदा कारतूस और रूपया बरामद किया गया। वहीं सह अभियुक्त–रौशन कुमार के पास से एक मोबाइल और पांच सौ रूपए बरामद किया गया। कांड दैनिकी के कंडिका–51 में जप्त देशी पिस्टल और गोली का जांच–प्रतिवेदन अंकित है, जिसे 'कारगर' पाया गया है तथा 'मानव–जीवन हेतु घातक' बताया गया है। अनुसंधान के क्रम में आवेदक अभियुक्त की संलिप्तता पाई गई है और कथित शस्त्र एवं गोली की बरामदगी इन्हीं के पास से हुई है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए काराधीन आवेदक अभियुक्त–1. विकास कुमार को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः, नियमित जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़